

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
संकल्प

श्री अमरेन्द्र नारायण, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद सम्प्रति श्रम अधीक्षक, नवादा के विरुद्ध श्रमायुक्त, बिहार के पत्रांक- 3708, दिनांक- 12.07.2017 द्वारा प्रपत्र 'क' गठित करते हुए यह आरोप प्रतिवेदित किया गया कि औरंगाबाद जिला में Child Labour Tracking System (CLTS) में दर्ज 30 बच्चों में से दिनांक- 30.06.2017 तक मात्र 10 बच्चों के नाम ही Fixed Deposit कराया गया। यह कृत्य कर्तव्यहीनता, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना तथा स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। श्रमायुक्त, बिहार के उक्त पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक- 1975, दिनांक- 03.08.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 19 के तहत श्री नारायण से स्पष्टीकरण की माँग की गई।

2. श्री अमरेन्द्र नारायण का स्पष्टीकरण श्रम अधीक्षक कार्यालय, नवादा के पत्रांक- 552, दिनांक- 09.08.2017 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ। श्री नारायण ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि CLTS में कुल 58 बाल श्रमिकों की संख्या दर्ज है जिसमें 30 बाल श्रमिकों की सूची सत्यापित भी की गयी एवं उसके आलोक में राशि की माँग की गई थी। परन्तु औरंगाबाद जिला में CLTS में दर्ज बाल श्रमिकों की पत्र संख्या 17 है। शेष बाल श्रमिक दूसरे जिलो एवं राज्य के हैं। श्री नारायण ने अपने स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया है कि उन 17 बाल श्रमिकों में से 11 बाल श्रमिकों के नाम Fixed Deposit कराया गया एवं शेष 06 बाल श्रमिकों में से 04 बाल श्रमिकों का पता नहीं चल पाने के कारण तथा 02 बाल श्रमिकों के घर पर उपलब्ध नहीं रहने के कारण उनका FD नहीं कराया जा सका।

3. श्री अमरेन्द्र नारायण से प्राप्त स्पष्टीकरण पर श्रमायुक्त, बिहार का मंतव्य प्राप्त किया गया। श्रमायुक्त, बिहार ने अपने मंतव्य में यह अंकित किया है कि CLTS में दर्ज कुल 30 बाल श्रमिकों में से मात्र 06 बाल श्रमिक औरंगाबाद जिले के, 14 बाल श्रमिक गया जिले के एवं 10 बाल श्रमिक पलामू एवं चतरा जिले के थे जिससे स्पष्ट होता है कि श्री नारायण द्वारा बिना उपर्युक्त भौतिक सत्यापन के अन्य जिलों एवं राज्य से विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए भी अधियाचना की गयी। साथ ही श्री नारायण के पदस्थापन अवधि तक कुल 58 बाल श्रमिकों से संबंधित आंकड़े की प्रविष्टि CLTS में दर्ज है जिनमें वर्ष 2014 से श्री नारायण के पदस्थापन अवधि काल तक मात्र 17 बाल श्रमिक ही औरंगाबाद से संबंध रखते हैं। श्रमायुक्त, बिहार ने अपने मंतव्य में यह भी अंकित किया है कि श्री नारायण द्वारा 30 अधियाचित बाल श्रमिकों के मामले में यह माना जाएगा कि श्री नारायण ने भौतिक सत्यापन एवं जाँच पड़ताल करके ही सुयोग्य एवं पात्र बाल श्रमिकों की सूची के नाम के आधार पर राशि की माँग की होगी, परन्तु बाद में प्राप्त सहायता राशि का ससमय वितरण नहीं किया गया, न ही ऐसे अपात्र मामलों को CLTS में Online अस्वीकृत कर Update किया गया। क्षेत्रीय पदाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक, विभिन्न विभागीय पत्रों द्वारा दिये गए लगातार निदेश तथा श्रमायुक्त, बिहार द्वारा Whats app/मोबाईल से प्रतिदिन संदेश भेजने के बाद भी श्री नारायण द्वारा न ही बाल श्रमिकों का भौतिक सत्यापन किया गया एवं न ही CLTS में दर्ज बाल श्रमिकों का ससमय खाता खुलवाया गया। श्रमायुक्त, बिहार ने अपने मंतव्य में यह भी प्रतिवेदित किया है कि दिनांक- 29.05.2017 की बैठक में प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया था कि जिन विमुक्त बाल श्रमिकों हेतु राशि प्रेषित की गयी है यदि उनमें से कुछ बाल श्रमिक अपात्र/सहायता राशि प्राप्ति के निर्धारित मानक में नहीं आते हैं तो Waiting List में जो पात्र बाल श्रमिक हैं, उन्हें यह सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाय। इस संबंध के श्रमायुक्त, बिहार द्वारा विभागीय पत्रांक- 3076, दिनांक- 01.06.2017 द्वारा श्री नारायण को भी निदेशित किया गया। औरंगाबाद जिला में CLTS में दर्ज कुल 58 बाल श्रमिकों के रहने के बावजूद

दिनांक- 30.06.2017 तक अन्य पात्र बाल श्रमिकों को सहायता राशि उपलब्ध कराने में श्री नारायण द्वारा व्यक्तिगत रुचि लेकर कोई प्रगति नहीं लाया गया।

4. श्री अमरेन्द्र नारायण के स्पष्टीकरण की श्रमायुक्त, बिहार के मंतव्य के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि औरंगाबाद जिला में CLTS में दर्ज 30 बच्चों के लिए राशि विमुक्त उन्हीं की मांग पर की गयी थी, परन्तु उन्होंने मात्र 10 बच्चों का FD कराया। औरंगाबाद जिला में 30 मई, 2017 तक कुल 58 बच्चों का नाम CLTS में दर्ज था। सभी श्रम अधीक्षक को दिनांक- 29.05.2017 की बैठक में यह निदेश दिया गया था कि यदि पूर्व में भेजे गये मांग पत्र के अनुसार सभी बच्चे पात्र नहीं निकलते हैं तो शेष बच्चों में ही जो भी पात्र हैं उन्हें राशि दे दी जाये एवं मुख्यालय को सूचित कर दिया जाय। परन्तु इसके आलोक में उनके द्वारा 10 बच्चों का FD कराया गया है। इस प्रकार श्री अमरेन्द्र नारायण के द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लागू करने में बरती गयी लापरवाही को सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित पाया गया एवं श्री अमरेन्द्र नारायण के विरुद्ध एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने की सजा देने का निर्णय लिया गया। साथ ही श्री अमरेन्द्र नारायण को सचेत करने का भी निर्णय लिया गया कि मार्च, 2018 तक के विभागीय लक्ष्य के प्राप्ति में शिथिलता होने पर वृहत दण्ड हेतु कार्रवाई की जाएगी।

5. अतएव श्री अमरेन्द्र नारायण,, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद सम्प्रति श्रम अधीक्षक, नवादा के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित नियमावली, 2007 के नियम 14 (v) के तहत लघु दण्ड स्वरूप एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। साथ ही सचेत किया जाता है कि मार्च, 2018 तक विभागीय लक्ष्य की प्राप्ति में शिथिलता होने पर वृहत दण्ड की कार्रवाई की जाएगी।

6. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री अमरेन्द्र नारायण, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद सम्प्रति श्रम अधीक्षक, नवादा को निबंधित डाक से उपलब्ध कराये।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(अमरेन्द्र नारायण मिश्र)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापक- 6/श्रम वि० आ०(02) 19/2017 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई. बजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराये।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 6/श्रम वि० आ०(02) 19/2017 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 6/श्रम वि० आ०(02) 19/2017 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/ जिला पदाधिकारी, नवादा/ कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/कोषागार पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 6/श्रम वि० आ०(02) 19/2017 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- श्री अमरेन्द्र नारायण, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद सम्प्रति श्रम अधीक्षक, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 6/श्रम वि० आ०(02) 19/2017 श्र०सं०-

3117

पटना, दिनांक-16/11/2017

प्रतिलिपि- श्रमायुक्त, बिहार, पटना/विशेष सचिव/अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-1,2 एवं गोपनीय चारित्री/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/लोक सूचना पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी (सरकार पक्ष)/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

सरकार के उप सचिव 16/11/17